(20)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष– पीयूष राम साहू
सदस्य– चित्रा खत्री)

प्रकरण क्रमांकः– 21/2026
संस्थित दिनांकः– 22.07.2026

श्रीमती बशन्ती जोशी उम्र 58 वर्ष, — परिवादी/आवेदिका
पति श्री एल0 एस0 जोशी,
धरमपुरा नं0 3, लोक मान्य तिलक,
वार्ड क्र0 37 जगदलपुर (494–001)
मो0नं0 9131919611, 9407927183

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग, — उत्तरवादी/अनावेदक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
जगदलपुर (छ.ग.)

आदेश

(आज दिनांक 31–08–2026 को पारित)

1. परिवादी द्वारा अतिरिक्त सुरक्षानिधि राशि वापस किये जाने हेतु शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. **मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं हैः–** 1. परिवादी श्रीमती बशन्ती जोशी, पति श्री एल0 एस0 जोशी, धरमपुरा नं0 3, लोक मान्य तिलक, वार्ड क्र0 37 जगदलपुर (494–001) को बी0पी0क्र0 1008819544 गैर घरेलू कनेक्शन प्रदान किया गया है।

3. **स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :–** परिवादी का अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि समायोजन पश्चात् विद्युत विभाग द्वारा शेष राशि रू0 वापस नहीं किये जाने पर शिकायत प्रस्तुत किया गया।

4. **प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :–** श्रीमती बसंती जोशी के परिसर में 02 विद्युत कनेक्शन स्थापित है, एक घरेलू बी0पी0क्र0 1010091851 जिस पर कोई विवाद नहीं है। आवेदक द्वारा 06 किलो वॉट कनेक्शन हेतु आवेदन पर प्रक्रिया पश्चात् थ्री फेस मीटर उपभोक्ता परिसर में दिनांक 03.06.2022 को लगा दिया गया जिसका बी0पी0क्र0 1008819544 है पुनः उपभोक्ता द्वारा उक्त कनेक्शन के भार को कम कर 2 किलो वाट किये जाने हेतु कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके परिपालन में सैप में दिनांक 01.10.2025 से भार 2 किलो वाट कर

उपभोक्ता परिसर में सिंगल फेस का स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिया गया। बी0पी0क्र0 1008819544 में कनेक्शन के विरूद्ध राशि रू0 9000/– का सुरक्षा निधि राशि जमा होना पाया गया एवं वर्तमान में उपभोक्ता के उक्त विद्युत कनेक्शन सक्रिय होने के कारण उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर 3 फेस हेतु जमा की गई राशि में से वापसी योग्य सुरक्षा निधि राशि को वापस करना संभव नहीं है।

2. इसी प्रकार उपभोक्ता के द्वारा 300 वाट का घरेलू कनेक्शन हेतु माह–मई 2025 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके परिपालन दिनांक 09.05.2025 को उपभोक्ता परिसर में उक्त विद्युत कनेक्शन को चालू कर दिया गया था जिसका बी0पी0क्र0 1010091851 है उक्त कनेक्शन के विरूद्ध राशि रू0 1000/– का सुरक्षा निधि राशि जमा होना पाया गया है एवं वर्तमान में उक्त विद्युत कनेक्शन चालू होने के कारण उपभोक्ता द्वारा मांग किये गये वापसी योग्य सुरक्षा निधि राशि का वापस करना संभव नहीं है।

अतः कंपनी नियमानुसार विद्युत कनेक्शनों के पूर्ण विच्छेदन पश्चात ही जमा सुरक्षा निधि राशि वापस किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा मांग की जा रही राशि की वापसी उक्त विद्युत कनेक्शनों का पूर्ण विच्छेदन पश्चात् ही संभव हो पायेगा अथवा स्मार्ट मीटर के प्री–प्रेड मोड़ में चालू होने के पश्चात् ही जमा सुरक्षा निधि राशि का समायोजन आगामी विद्युत देयकों में किया जावेगा।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं :– क्या परिवादी द्वारा विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1008819544 हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि भार कम करने पर अतिरिक्त जमा सुरक्षा निधि वापस मांगने के हकदार हैं।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष :– उत्तरवादी द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन हेतु जमा सुरक्षा निधि राशि रू0 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 की कंडिका 6.11 यथाः–

"In the case of consumers who have been sanctioned additional load, the additional security deposit shall be calculated for the additional laod as if it is a new conncection. Similarly, if the contract demand is reduced, the licensee may recalculate the security and give credit of excess securtity deposit, if any, by way of adjustments in next three months electricity bills of the consumer. If there remains any balance after such adjustment, the

same shall be refunded to the consumer within 30 days in cash." के अनुसार समयोजन या वापस किया जाना प्रतीत होता है।

6. परिवादी द्वारा दिनांक 23.05.2022 को तीन फेस विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया जिसके मांग अनुसार सुरक्षानिधि राशि रू0 9000/– जमा किया गया जिसका विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1008819544 है। परिवादी द्वारा पुनः उक्त कनेक्शन में भार को कम कर 2 किलो वॉट किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके पश्चात् उक्त कनेक्शन को सिंगल फेस किया गया। उक्त कनेक्शन के विरूद्ध राशि रू0 9000/– का सुरक्षा निधि राशि जमा होना पाया गया है। जिसे उत्तरवादी द्वारा परिवादी के आवेदन के आधार पर नियमानुसार अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि वापस किया जाना उचित होगा।

7. परिवादी द्वारा घरेलू क्र0 1010091851 में अतिरिक्त सुरक्षा निधि का समायोजन चाहा गया है जो निम्नानुसार उचित नहीं है।

8. **उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूँ कि :–** परिवादी शेष सुरक्षा निधि राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उत्तरवादी/अनावेदक परिवादी को अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका क्रमांक 6.11 के अनुसार समायोजित/वापस समय सीमा 30 दिवस में करें। जिसका पालन प्रतिवेदन फोरम कार्यालय जगदलपुर को उपलब्ध करावें।

9. यदि परिवादी/आवेदिका इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ0ग0) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर
टंकित कराया गया

आदेश पारित किया गया

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना
(शिकायत) निवारण फोरम,
जगदलपुर

(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना
(शिकायत) निवारण फोरम,
जगदलपुर

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना
(शिकायत) निवारण फोरम,
जगदलपुर